भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *268

जिसका उत्तर 07.08.2025 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्ग-48 का मुंबई-अहमदाबाद खंड

*268. श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेल:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग-48 (दिल्ली-चेन्नई) के मुंबई-अहमदाबाद खंड पर हर साल बड़े-बड़े गड्ढे बन जाते हैं और यह मानसून की पहली बारिश भी झेल नहीं पाता है;

(ख) क्या मानसून के दौरान इस राजमार्ग की लगातार खराब स्थिति के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जाँच की गई है/शुरू की गई है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) हाल के वर्षों में इस मार्ग पर कई बार टोल दरों में बढ़ोतरी के बावजूद संतोषजनक/आवश्यक मानकों के अनुरूप सड़क की गुणवत्ता न बनाए रख पाने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या राजमार्गों के रखरखाव के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु कोई तंत्र है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत पाँच वर्षों के दौरान चूक करने वाली एजेंसियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (घ) विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

'राष्ट्रीय राजमार्ग-48 का मुंबई-अहमदाबाद खंड' के संबंध में श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेल द्वारा पूछे गए दिनांक 07.08.2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 268 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ग) गुजरात राज्य में एनएच-48 का वडोदरा से महाराष्ट्र सीमा तक का खंड अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में स्थित है और इस पर लगभग 1.5 लाख यात्री कार इकाई (पीसीयू) यातायात होता है। चूंकि इस खंड पर बहुत अधिक वाणिज्यिक यातायात होता है, इसलिए यह विशेष रूप से मानसून के मौसम में सतह के दोष के प्रति अतिसंवेदनशील है। इस राजमार्ग खंड पर अधिक वाणिज्यिक यातायात के साथ ही लगातार अत्यधिक बारिश के कारण गुजरात राज्य में एनएच-48 के वडोदरा-भरोच-सूरत-वापी खंड पर कुछ स्थान क्षतिग्रस्त और गड्ढे पाए गए हैं। हालांकि, इस खंड को मोटर योग्य स्थिति में रखने के लिए अनुरक्षण एजेंसी द्वारा नियमित रूप से गड्ढों की मरम्मत की जा रही है।

वर्ष 2021 से पहले, महाराष्ट्र राज्य में एनएच-48 के अछाद से दहिसर खंड के बिटुमिनस फुटपाथ पर बहुत अधिक यातायात और भारी वर्षा के कारण फुटपाथ की समस्याएं देखी गई थीं। इसलिए, दीर्घकालिक समाधान के रूप में, 121 किलोमीटर के संपूर्ण खंड पर व्हाइट टॉपिंग का कार्य स्वीकृत किया गया था। यह व्हाइट टॉपिंग कार्य प्रगति पर है और इसे नवंबर, 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य है। लेन-दर-लेन काम, यातायात की भीड़भाड़, नए/अधूरे कंक्रीट पर वाहनों को समय से पहले चलाने आदि के कारण व्हाइट टॉपिंग में स्थानीय स्तर पर खामियां आईं। व्हाइट टॉपिंग ठेकेदार क्षतिग्रस्त पैनलों को बदलकर व्हाइट टॉपिंग में गड्ढों की मरम्मत कर रहा है। इसके अलावा, वर्तमान मानसून के दौरान, मैस्टिक डामर से भी गड्ढों की मरम्मत की जा रही है। निर्माण के दौरान, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (सीआरआरआई) और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), बॉम्बे के विशेषज्ञों से परामर्श लिया गया है। क्षतिग्रस्त पैनलों की मरम्मत और प्रतिस्थापन की कार्यप्रणाली और स्थल पर किए गए कार्य की भी आईआईटी बॉम्बे द्वारा समीक्षा की गई है।

एनएच-48 पर यातायात का भार कम करने के लिए, एक समानांतर कॉरिडोर - दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे - का भी निर्माण किया जा रहा है। इसके पूरा होने पर, यातायात का एक बड़ा हिस्सा एनएच 48 से डायवर्ट होने की उम्मीद है। इसके अलावा, निर्माण स्थल की आवश्यकताओं के आधार पर, मौजूदा एनएच-48 पर पुलों के चौड़ीकरण, नए वीयूपी/एलवीयूपी/फ्लाईओवरों के निर्माण और सर्विस रोड के प्रावधान जैसे अतिरिक्त कार्यों को पहले ही स्वीकृति दी जा चुकी है और इन कार्यों का निष्पादन प्रगति पर है।

(घ) राजमार्ग के रखरखाव में हुई चूक को अनुबंध में लागू दंडात्मक प्रावधानों के तहत निपटाया जा रहा है, जिसमें निष्पादन नहीं करने वाले ठेकेदारों के जोखिम और लागत पर कार्य कराना भी शामिल है। पिछले पांच वर्षों के दौरान चूककर्ता एजेंसियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	**एनएच-48 का खंड**	**पिछले पांच वर्षों के दौरान चूककर्ता एजेंसियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का विवरण**
1	अहमदाबाद- वडोदरा खंड	ठेकेदार/रियायतग्राही पर 27.67 करोड़ रुपये का हर्जाना/जुर्माना लगाया गया।
2	वडोदरा-भरूच खंड	ठेकेदार पर 0.35 करोड़ रुपये का हर्जाना/जुर्माना लगाया गया है।
3	सूरत से वापी खंड	2.90 करोड़ रुपये की निष्पादन बैंक गारंटी भुना ली गई है। 9.02 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है और मध्यस्थता कार्यवाही के माध्यम से 13.84 करोड़ रुपये की वसूली का प्रतिदावा किया गया है।
4	अछद से दहिसर खंड	एनएचएआई ने ठेकेदार को अनुबंध में चूक के कारण 22.04.2025 से 23.11.2025 तक प्रतिबंधित कर दिया है। एनएचएआई, चूककर्ता ठेकेदार के जोखिम और लागत पर सुधार का कार्य भी कर रहा है।

*****